



इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

रिट - ए संख्या - 19720 सन् 2025

प्रदीप दीक्षित

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मदन मोहन, परमेश्वर यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता (C.S.C.)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

प्रकरण : सिविल विविध संशोधन आवेदन संख्या - 2 सन् 2026

- वर्तमान संशोधन आवेदन के माध्यम से दिनांक 14.01.2026 के आदेश के पैरा 2 की दूसरी पंक्ति में संशोधन की प्रार्थना की गई है, जिसमें "अग्नि" शब्द को हटाकर उसके स्थान पर "पिएओ" शब्द प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया गया है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ताने इस पर कोई आपत्ति नहीं की है।
- संशोधन आवेदन स्वीकार किया जाता है।
- आवश्यक संशोधन अभिलेख में सम्मिलित किए जाएं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

जनवरी 27, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"